

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3
संख्या-73/65-3-2019-02/2018
लखनऊ :: दिनांक 08 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79(7) एवं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-30(1) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत 'आयुक्त, दिव्यांगजन, उ०प्र० की सहायता के लिए "सलाहकार समिति" में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | डा० एस० आर० मित्तल एन०आई०ई०पी०वी०डी०, देहरादून
शारीरिक निःशक्तता श्रेणी। | सदस्य |
| 2 | डा० अनिल कुमार बंसल, चिल्ड्रन वेल्फेयर ट्रस्ट, मेरठ
मानसिक निःशक्तता श्रेणी। | सदस्य |
| 3 | सुश्री रीता अग्रवाल, हैण्डीकेप्ड डेवलेपमेण्ट कौन्सिल
कमलानगर, आगरा।
बहु निःशक्तता श्रेणी। | सदस्य |
| 4 | डा० प्रज्ञा डंगवाल एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ
बौद्धिक निःशक्तता श्रेणी। | सदस्य |

2- समिति का अध्यक्ष (आयुक्त, दिव्यांगजन, उ०प्र०) बैठकों में या सुनवाई में और रिपोर्ट आदि तैयार करने में सहायता करने हेतु आवश्यकतानुसार विषय या क्षेत्र विशेषज्ञों को भी विशेष आमंत्रि के रूप में आमंत्रित कर सकता है।

3/19

3- नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पदधारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, नामनिर्दिष्ट सदस्य पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र नहीं होंगे।

4-

राज्य की राजधानी में निवास कर रहे, सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को वास्तविक बैठक के लिए प्रतिदिन दो हजार रुपये के भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

- 5- राज्य की राजधानी में निवास न कर रहे, सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुमन्य दर से वास्तवित बैठकों के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक और यात्रा भत्तों का भुगतान किया जायेगा।


महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-73(1)/65-3-2019-02/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (3) आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ०प्र०।
- (4) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०।
- (5) डा० एस० आर० मित्तल, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एन०आई०ई०पी०वी०डी०), 116-राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248001
- (6) डा० प्रज्ञा डंगवाल एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (7) डा० अनिल कुमार बंसल, चिल्ड्रन वेल्फेयर ट्रस्ट, एफ-41 शास्त्रीनगर, मेरठ।
- (8) सुश्री रीता अग्रवाल, हैण्डिकेप्ड डेवलेपमेण्ट कौन्सिल, वी-152 कमलानगर, आगरा-282004
- (9) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/2
- (10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सुरजन सिंह)

संयुक्त सचिव।